

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 के संबंध में विभाग से संबंधित जानकारियाँ

(I) संचालनालय की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य:

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये चार क्षेत्र-कृषि, उद्योग, सेवायें और प्रौद्योगिकी प्रमुख माने गये हैं। इसके लिये कार्यकुशल इंजीनियर एवं तकनीकी कौशलयुक्त मानव संसाधन का विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा इसी आवश्यकता को पूरा करती है। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, कम्प्यूटर उपायोजन और फार्मसी जैसे विषय सम्मिलित किये गये हैं। राज्य में तकनीकी शिक्षा का लक्ष्य है - प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मूल्यपरक गुणात्मक तकनीकी शिक्षा तथा शोध के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करना।

नये राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के उदय होने के साथ ही राज्य में उपलब्ध विपुल कृषि, वन, जल और खनिज सम्पदाओं के समुचित दोहन-प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नित नये प्रयोगों के सार्थक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास और प्रचार-प्रसार को नया आयाम दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य में इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक एवं प्रबंधन संस्थाओं की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए निजी क्षेत्रों और जन सहयोग से तकनीकी शिक्षा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने का सुव्यवस्थित प्रयास राज्य शासन ने किया है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा का समुचित विकास करने और समन्वय स्थापित करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग सदैव प्रयासरत है।

(II) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्तायुक्त विकास, समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए संचालनालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य :

1. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का प्रशासकीय नियंत्रण
2. शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं का प्रशासकीय नियंत्रण
3. राज्य के सभी शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निकों में प्रवेश देने की प्रक्रिया
4. राज्य में नए इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं नई पॉलीटेक्निक संस्थाएं इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की कार्यवाही करना
5. फार्मसी संस्थाओं का प्रशासकीय नियंत्रण व प्रवेश का कार्य
6. मैनेजमेंट कोर्स का नियंत्रण एवं प्रवेश का कार्य

(III) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:

लिपिक → अधीक्षक → उपसंचालक → संयुक्त संचालक → अतिरिक्त संचालक → संचालक

(IV) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान:

छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की आचार संहिता का पालन करना

(V) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख:

यथा समय शासन से जारी निर्देशानुसार

(VI) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण:

तकनीकी शिक्षण संस्थान से संबंधित दस्तावेज

(VII) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है:

सभी नीतियों के लिए यह व्यवस्था लागू है।

(VIII) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

- छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अस्तित्व में आने के बाद समिति निजी व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में फीस का निर्धारण करती है।
- **फीस विनियामक समिति के सदस्यों के नाम**
 1. श्री व्ही.के. श्रीवास्तव - सेवानिवृत्त मान. न्यायाधीश, मान. उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ - सभापति
 2. डॉ. कमलप्रीत सिंह - संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय छत्तीसगढ़ - सदस्य
(चिकित्सा शिक्षा)
 3. श्री आनन्द मोहन ठाकुर- शास. अधिवक्ता, रायपुर छत्तीसगढ़ - सदस्य (विधि)
 4. सुश्री सहला निगार - विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सा.प्र.वि (पूर्व विशेष सचिव, वित्त विभाग) - सदस्य (वित्त)
 5. संचालक - संचालक, तकनीकी शिक्षा (पदेन) छत्तीसगढ़ रायपुर - सदस्य (तकनीकी शिक्षा एवं प्रशासन)
- छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अस्तित्व में आने के बाद समिति ने निजी संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में फीस का निर्धारण किया है। प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के अंतर्गत वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संचालित समस्त निजी संस्थाओं यथा इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक संस्थाएं, डेंटल कॉलेज, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवायएस, बी.आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी, एमबीबीएस कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.ई./एम.टेक, फार्मेसी, बी.एड./एम.एड., फिजिकल एजुकेशन एवं पी.जी. डिप्लोमा आते हैं, जिसमें से बी.ई., एम.ई./एम.टेक., एम.सी.ए., नर्सिंग, फार्मेसी, बी.एड./एम.एड., फिजिकल एजुकेशन, डेंटल पाठ्यक्रमों में फीस का निर्धारण/पुनरीक्षण समिति द्वारा किया गया है।
- निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शिकायत पर समिति द्वारा नियमित रूप से सुनवाई की जाती है। फरवरी 2014 से जनवरी-2015 तक सुनवाई के दौरान विभिन्न मामलों में लगभग 127 प्रकरणों का निराकरण कर लगभग ₹. 23,27,118.00/- (रूपये तेईस लाख सत्ताईस हजार एक सौ अठारह मात्र) छात्र/छात्राओं को वापस कराए जाने का आदेश पारित किया गया एवं निजी संस्थाओं द्वारा जमा मूल दस्तावेज छात्र/छात्राओं को वापस कराये गये।

● (IX) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका:

संचालनालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका			
क्र.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	दूरभाष
1.	श्री हिमांशु गुप्ता	आयुक्त-सह-संचालक	2331331
2.	डॉ. ए. के. दुबे	अतिरिक्त संचालक	
3.	डॉ. जी. एस. बेदी	अतिरिक्त संचालक (पद विरुद्ध)	2439188, 2420055
4.	श्री जे.एस. दीक्षित	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	2221376
5.	डॉ. हिमांशु अग्रवाल	संयुक्त संचालक	2439188
6.	श्री अविनाश कुमार जैन	संयुक्त संचालक (पद विरुद्ध)	2511330
7.	डॉ. राम गोपाल गुप्ता	संयुक्त संचालक (पद विरुद्ध)	2221376
8.	श्री व्ही.के. सेलट	उप संचालक	2221376
9.	श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर	संयुक्त संचालक (वित्त)	2221376
10.	श्री ए.सी. सूर्यवंशी	अधीक्षक	2221376
11.	श्री सी.एल. नागनपुरे	अधीक्षक	2511330
12.	श्री दीपक गजभिये	अधीक्षक	2511330
13.	श्री महेश लिल्हारे	निज सहायक	2420055
14.	श्री एस.सी. श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड-1	2221376
15.	श्री विवेक बर्डे	सहायक ग्रेड-1	2221376
16.	श्री एम.एल. साहू	सहायक ग्रेड-1	2511330
17.	श्री एस.आर. ढोके	सहायक ग्रेड-1	2511330
18.	श्रीमती तेजकुमारी टोप्पो	सहायक ग्रेड-1	2511330
19.	श्री जी.एस. कोरी	सहायक ग्रेड-1	2221376
21.	श्री वी.के. नेताम	शीघ्रलेखक	2511330
22.	श्री महावीर यादव	शीघ्रलेखक	2331331
23.	श्री जगदीश मरोला	मेकेनिक कम ऑपरेटर	2511330
24.	श्रीमती योगेश्वरी कंवर	शीघ्रलेखक	2511330
25.	श्री प्रवीण तिकी	सहायक ग्रेड-2	2221376
26.	श्री विकास यादव	सहायक ग्रेड-2	2511330
27.	श्री बालाराम कुंजाम	सहायक ग्रेड-3	2511330
28.	श्री शेषनारायण गैरे	सहायक ग्रेड-3	2511330
29.	श्री जयंत राव मगर	सहायक ग्रेड-3 (प्रतिनियुक्ति पर)	2511330
30.	श्री पूरन लाल साहू	सहायक ग्रेड-3 (प्रतिनियुक्ति पर)	2511330
31.	श्री गणेश शंकर तिवारी	सहायक ग्रेड-3 (प्रतिनियुक्ति पर)	2511330
32.	श्री शैलेन्द्र सोनी	सहायक ग्रेड-3 (प्रतिनियुक्ति पर)	2420055
33.	श्री डी.आर. पटेल	कनि-ठ लेखा अधिकारी (संलग्न)	2511330
34.	श्री प्रमोद ओखदे	सहायक प्रोग्रामर (संलग्न)	2420055
35.	श्री अरूण धुर्वे	तकनीकी सहायक (संलग्न)	2221376
36.	श्री एम.एम. दास	सहायक ग्रेड-2 (संलग्न)	2511330
37.	श्री पी.आर. अहीर	प्रयोगशाला तकनीशियन (संलग्न)	2511330
38.	श्री मोती चंदन साहू	कुशल सहायक (संलग्न)	2221376
39.	श्री परमानंद यादव	सहायक ग्रेड-3 (संलग्न)	2511330
40.	श्री मिलिन्द संगवई	सहायक ग्रेड-2 (संलग्न)	2511330
41.	श्री लालचंद नेवारे	दफ्तरी	2331331
42.	श्री कमलाकांत द्विवेदी	भृत्य	2511330
43.	श्री नितिन आठनकर	भृत्य	2331331

44.	श्रीमती सामवती वायाम	भृत्य	2221376
45.	श्रीमती अनुसूईया कुलस्ते	भृत्य	2221376
46.	श्री सहदेव बाघ	भृत्य (संलग्न)	2511330

(X) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो:

संचालनालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मासिक वेतन माह जनवरी 2014			
क्र.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन
1.	श्री हिमांशु गुप्ता	आयुक्त-सह-संचालक	131417
2.	डॉ. ए. के. दुबे	अतिरिक्त संचालक	143425
3.	डॉ. जी. एस. बेदी	अतिरिक्त संचालक (पद विरुद्ध)	135179
4.	श्री जे.एस. दीक्षित	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	50127
5.	डॉ. हिमांशु अग्रवाल	संयुक्त संचालक	134441
6.	श्री अविनाश कुमार जैन	संयुक्त संचालक (पद विरुद्ध)	134637
7.	डॉ. रामगोपाल गुप्ता	संयुक्त संचालक (पद विरुद्ध)	118293
8.	श्री व्ही.के. सेलट	उप संचालक	128539
9.	श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर	संयुक्त संचालक (वित्त)	81059
10.	श्री ए.सी. सूर्यवंशी	अधीक्षक	48753
11.	श्री सी.एल. नागनपुरे	अधीक्षक	41673
12.	श्री दीपक गजभिये	अधीक्षक	35277
13.	श्री महेश लिल्हारे	निज सहायक	44611
14.	श्री एस.सी. श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड-1	41970
15.	श्री विवेक बर्डे	सहायक ग्रेड-1	36951
16.	श्री एम.एल. साहू	सहायक ग्रेड-1	34635
17.	श्री एस.आर. ढोके	सहायक ग्रेड-1	34635
18.	श्रीमती तेजकुमारी टोप्पो	सहायक ग्रेड-1	34035
19.	श्री जी.एस. कोरी	सहायक ग्रेड-1	24678
21.	श्री बी.के. नेताम	शीघ्रलेखक	44589
22.	श्री महावीर यादव	शीघ्रलेखक	41052
23.	श्री जगदीश मरोला	मेकेनिक कम ऑपरेटर	34944
24.	श्रीमती योगेश्वरी कंवर	शीघ्रलेखक	32772
25.	श्री प्रवीण तिकी	सहायक ग्रेड-2	22165 (सितंबर 2014)
26.	श्री विकास यादव	सहायक ग्रेड-2	19743
27.	श्री बालाराम कुंजाम	सहायक ग्रेड-3	20835
28.	श्री शेषनारायण गैरे	सहायक ग्रेड-3	20389
29.	श्री जयंत राव मगर	सहायक ग्रेड-3 (प्रतिनियुक्ति पर)	30363
30.	श्री पूरन लाल साहू	सहायक ग्रेड-3 (प्रतिनियुक्ति पर)	29973
31.	श्री गणेश शंकर तिवारी	सहायक ग्रेड-3 (प्रतिनियुक्ति पर)	26609
32.	श्री शैलेन्द्र सोनी	सहायक ग्रेड-3 (प्रतिनियुक्ति पर)	26110
33.	श्री डी.आर. पटेल	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	संलग्न
34.	श्री प्रमोद ओखदे	सहायक प्रोग्रामर	संलग्न
35.	श्री अरूण धुर्वे	तकनीकी सहायक	संलग्न
36.	श्री एम.एम. दास	सहायक ग्रेड-2	संलग्न
37.	श्री पी.आर. अहीर	प्रयोगशाला तकनीशियन	संलग्न
38.	श्री मोती चंदन साहू	कुशल सहायक	संलग्न
39.	श्री परमानंद यादव	सहायक ग्रेड-3	संलग्न

40.	श्री मिलिन्द संगवई	सहायक ग्रेड-2	संलग्न
41.	श्री लालचंद नेवारे	दफ्तरी	22757
42.	श्री कमलाकांत द्विवेदी	भृत्य	20389
43.	श्री नितिन आठनकर	भृत्य	14563
44.	श्रीमती सामवती वायाम	भृत्य	14149
45.	श्रीमती अनुसूईया कुलस्ते	भृत्य	14149
46.	श्री सहदेव बाघ	भृत्य	संलग्न

(XI) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट:

बजट विहंगावलोकन

वर्ष 2014-15 में विभाग को प्राप्त आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्न तालिका में दी गई है:-

आयोजना

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम/सेक्टर/मांग संख्या		बजट प्रावधान 2014-15	वास्तविक व्यय 31.12.2014
1.	47-2203	राजस्व अनुभाग (सामान्य आयोजना)	3326.40	821.63
2.	47-4202	पूँजी अनुभाग (सामान्य आयोजना)	610.00	7.82
3.	47-2203 (0701)	केन्द्र प्रवर्तित योजना (राजस्व अनुभाग)	725.00	0.00
4.	47-2203 (0701) 7477	केन्द्र प्रवर्तित योजना (राजस्व अनुभाग)	400.00	0.00
5.	48-2203 (7416)	जिला नवाचार निधि योजना (राजस्व अनुभाग)	900.00	0.00
6.	47-4202 (0701)	केन्द्र प्रवर्तित योजना (पूँजी अनुभाग)	1510.00	70.00
7.	47-2203 (0801)	केन्द्र क्षेत्रीय योजना (राजस्व अनुभाग)	200.00	38.01
8.	41-2203	आदिवासी उपयोजना (राजस्व अनुभाग)	1487.80	414.13
9.	41-4202	पूँजी अनुभाग (सामान्य अनुभाग)	350.00	0.00
10.	41-2203 (0702)	केन्द्र प्रवर्तित योजना (राजस्व अनुभाग)	530.50	0.00
11.	41-4202 (0702)	केन्द्र प्रवर्तित योजना (पूँजी अनुभाग)	1140.00	500.00
12.	64-2203	अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व अनुभाग)	135.00	31.93
13.	64-4202 (0703)	केन्द्र प्रवर्तित योजना (पूँजी अनुभाग)	160.00	0.00
कुल योग			11474.70	1883.52

आयोजनेत्तर

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम/सेक्टर/मांग संख्या		बजट प्रावधान 2014-15	वास्तविक व्यय 31.12.2014
1.	47-2203	आयोजनेत्तर (राजस्व अनुभाग)	6406.50	3609.25
कुल योग			6406.50	3609.25

योजनाएँ

योजनावार पिछले तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्नांकित तालिका में दिया गया है:-

क्र.	योजना/कार्यक्रम/सेक्टर/मांग संख्या	2012-13		2013-14		2014-15 (31.12.2014 तक)	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1.	47-2203 आयोजना (सामान्य)	2594.00	785.61	2369.50	733.43	3326.40	821.63
2.	47-4202 आयोजना (पूँजी अनुभाग)	400.00	140.56	600.00	156.08	610.00	7.82
3.	48-2203 आयोजना (सामान्य)	900.00	47.75	900.00	304.06	900.00	0.00
4.	41-2203 आदिवासी उपयोजना	824.10	103.19	452.20	119.03	1487.80	414.13
5.	41-4202-पूँजी परिव्यय (भवन)	300.00	130.43	300.00	258.67	0.00	0.00
6.	41-4202 पूँजी परिव्यय (उपकरण)	100.00	60.49	350.00	70.66	350.00	0.00
7.	64-2203 विशेष घटक योजना	630.00	81.47	130.00	88.31	135.00	31.93
योग		5748.10	1349.50	5101.70	1730.24	6809.20	1275.51
8.	47 आयोजनेत्तर	4839.00	3790.60	5524.70	4508.47	6406.50	3609.25
महायोग		10587.10	5140.10	10626.40	6238.71	13215.70	4884.76

2.3 केन्द्र प्रवर्तित योजना

क्र.	योजना/कार्यक्रम/सेक्टर/मांग संख्या	2012-13		2013-14		2014-15 (31.12.2014 तक)	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1.	47-2203 केन्द्र प्रवर्तित योजना (राजस्व अनुभाग) (0701)	410.60	178.14	150.00	0.00	725.00	0.00
2.	47-2203 (7477) केन्द्र प्रवर्तित योजना (राजस्व अनुभाग) (0701)	400.00	389.81	400.00	247.19	400.00	0.00
3.	47-4202 केन्द्र प्रवर्तित योजना पूँजी परिव्यय (भवन) (0701)	200.00	0.00	1150.00	0.00	1510.00	70.00
4.	41-2203 केन्द्र प्रवर्तित योजना (राजस्व अनुभाग) (0702)	683.50	271.42	569.10	360.08	530.50	0.00
5.	41-4202 केन्द्र प्रवर्तित योजना (पूँजी अनुभाग) (0702)	1100.00	68.84	1100.00	0.00	1140.00	500.0
6.	64-4202 केन्द्र प्रवर्तित योजना (पूँजी अनुभाग) (0703)	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
कुल योग		2794.10	908.21	3369.10	607.27	4465.50	570.00

2.4 केन्द्र क्षेत्रीय योजना

क्र.	योजना/कार्यक्रम/सेक्टर/मांग संख्या	2012-13		2013-14		2014-15 (31.12.2014 तक)	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1.	47-2203 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (राजस्व अनुभाग) (0801)	95.95	81.92	100.00	84.91	200.00	38.01
कुल योग		95.95	81.92	100.00	84.91	200.00	38.01

विभाग में संचालित योजनाएं

पी.पी.पी. के तहत अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नया रायपुर की स्थापना

आईआईआईटी की स्थापना नया रायपुर में छत्तीसगढ़ शासन एवं एनटीपीसी के मध्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप अंतर्गत की गई है। राज्य शासन का लक्ष्य इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैकल्टी/इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र समुदाय से युक्त एक विश्व-स्तरीय यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने का है। आईआईआईटी को सत्र 2015 से आरंभ करने का लक्ष्य है। प्रारंभ में दो पाठ्यक्रमों इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराएगा। संस्थान की 50 प्रतिशत सीटें राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित हैं और उन्हें इन क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। आने वाले वर्षों में शोध कार्य एवं स्नातकोत्तर और पी.एचडी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।

आईआईआईटी की अधोसंरचना निर्माण का कार्य एनटीपीसी के द्वारा रु. 100 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण पूर्णता पर है। आईआईआईटी कैम्पस को विश्वस्तरीय संस्थानों के समकक्ष सुविधाएं सुलभ कराने की दिशा में एनटीपीसी के बोर्ड द्वारा 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी गई है।

पॉलीटेक्निक विहीन क्षेत्रों/जिलों में पॉलीटेक्निक की स्थापना

केन्द्र शासन द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सब-मिशन ऑन पॉलीटेक्निक अंडर द कोआर्डिनेटेड एक्शन पॉर स्कूल डेव्हलपमेंट के तहत देश भर में ऐसे क्षेत्रों/जिलों जहाँ पॉलीटेक्निक संस्थान नहीं है, वहाँ पॉलीटेक्निक स्थापना की योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत राज्य में कुल 11 पॉलीटेक्निक (कोरिया, जशपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, रामानुजगंज, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर एवं जांजगीर-चांपा) की स्थापना की स्वीकृति केन्द्र शासन द्वारा दी गई। केन्द्र शासन द्वारा प्रत्येक पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु रु. 12.30 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस राशि में से रु. 8.00 करोड़ भवन निर्माण एवं रु. 4.30 करोड़ उपकरण, फर्नीचर आदि पर व्यय किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले 11 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में से बीजापुर, बिलासपुर, जगदलपुर, जशपुर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, रामानुजगंज, एवं रायपुर में पॉलीटेक्निक प्रारंभ किये जा चुके हैं। दंतेवाड़ा में एन.एम.डी.सी. द्वारा तथा जांजगीर-चांपा में राज्य बजट से पॉलीटेक्निक की स्थापना हो जाने के कारण उनके स्थान पर क्रमशः कोण्डागांव एवं सूरजपुर में पॉलीटेक्निक स्थापित किये जाने की योजना है।

राज्य बजट से बलौदाबाजार एवं भाटापारा में शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शासकीय पॉलीटेक्निक प्रारंभ किया गया है।

पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कन्या छात्रावास का निर्माण

राज्य की 10 पॉलीटेक्निक संस्थाओं (शासकीय पॉलीटेक्निक जांजगीर-चांपा, कोरबा, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर, कबीरधाम, महासमुंद्र, तखतपुर एवं जगदलपुर) का चयन केन्द्र शासन की योजना के तहत कन्या छात्रावासों के निर्माण के लिये किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कन्या छात्रावास के निर्माण हेतु केन्द्र शासन के द्वारा प्रत्येक संस्था को रु 1.00 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। रायगढ़ में छात्रावास निर्माण कार्य पूर्णता पर है। शेष स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है।

पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अधोसंरचना का उन्नयन

राज्य की 12 पॉलीटेक्निक संस्थाओं (शासकीय पॉलीटेक्निक जांजगीर-चांपा, कोरबा, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर, कबीरधाम, महासमुंद, तखतपुर, और शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर, जगदलपुर एवं राजनांदगांव) का चयन केन्द्र शासन की योजना के तहत पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अधोसंरचनाओं के उन्नयन हेतु किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रयोगशालाओं के विकास, उपकरण, लाइब्रेरी, फर्नीचर आदि पर व्यय किया जाकर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार किया जाना है। योजना के अंतर्गत अधोसंरचना के उन्नयन हेतु केन्द्र शासन के द्वारा प्रत्येक संस्था को रु 2.00 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-II (Technical Education Quality Improvement Programme – II)

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-II प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के साथ छात्र-छात्राओं की रोजगारपरकता बढ़ाना है। प्रोजेक्ट में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को राशि रूपये 10.00 करोड़ एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को राशि रूपये 4.00 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रोजेक्ट में मैचिंग शेयर के अंतर्गत शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के लिये केन्द्रीय अंश 75 प्रतिशत एवं राज्य का अंश 25 प्रतिशत है। निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के लिये केन्द्र का अंश 60 प्रतिशत, राज्य का अंश 20 प्रतिशत एवं संबंधित निजी महाविद्यालय का अंश 20 प्रतिशत है। TEQIP-II के क्रियान्वयन हेतु राज्य के 3 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों (विलासपुर, जगदलपुर एवं रायपुर) एवं 1 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय (खंगटा कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी, भिलाई) का चयन किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत कुल रूपए 637 लाख की राशि प्राप्त हुई है जिसमें केन्द्रांश रूपए 477.75 लाख तथा राज्यांश रूपए 159.25 लाख है।

पॉलीटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (Community Development Through Polytechnics)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पॉलीटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना राज्य की 03 शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक संस्थाओं (रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव) और 07 शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं (धमतरी, दुर्ग, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, खैरागढ़ एवं तखतपुर) में संचालित है।

योजनान्तर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं -

- लघु अवधि नान-फार्मल कौशल विकास पाठ्यक्रम - 600 प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष।
- टेक्नालॉजी ट्रांसफर एक्टिविटी - 5 टेक्नालॉजी, न्यूनतम 50 लाभार्थी प्रतिवर्ष।
- तकनीकी एवं सहायक सेवाएँ - न्यूनतम 5 केम्प प्रतिवर्ष प्रति पॉलीटेक्निक।
- विस्तार केन्द्रों की स्थापना - 5 से 10 स्थल।

निःशक्तजन परियोजना

संचालनालय के अधीनस्थ शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर एवं शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग में केंद्र शासन की सहायता से निःशक्तता से बाधितों के लिए योजना संचालित है। इस योजना के तहत विकलांग छात्रों को स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाने हेतु दोनों पॉलीटेक्निकों में 30-30 अलग-अलग विधाओं, यथा - मोटर वाइडिंग, टी. व्ही. मैकेनिक, कम्प्यूटर आपरेटर, आंतरिक साज-सज्जा इत्यादि व्यवसायों में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निःशक्तता से बाधितों के लिए इन दोनों संस्थाओं में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अतिरिक्त 25 सीटों पर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है।

कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना

रोजगार परक शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना हेतु प्रदेश के दो शासकीय पॉलीटेक्निक (शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर एवं शासकीय किरोड़ीमल पॉलीटेक्निक रायगढ़) को चिन्हित किया गया है। कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दोनों पॉलीटेक्निकों को प्रथम अनुदान की राशि जारी कर दी गई है। शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में इंटीरियर डिजाईन सेक्टर के अंतर्गत 100 सीट एवं किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक रायगढ़ में इलेक्ट्रिकल इक्वीपमेंट मेन्टेनेन्स सेक्टर में 100 सीट हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

कम्युनिटी कॉलेज पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश का नियम एवं ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम को छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा अनुमोदन उपरांत छात्रों को Diploma in Vocational Course (DVoC.) की पत्रोपाधि दी जा सकेगी।

विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना :

तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत रु. 2.00 लाख तक की वार्षिक आय के परिवार से आने वाले तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि एवं नौकरी लगने के उपरांत एक वर्ष अथवा छः महीना जो भी पहले हो) के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज के भार में छूट प्रदान की जायेगी। मोरेटोरियम अवधि के उपरांत राज्य के वामपंथी चरमपंथी प्रभारित जिलों जैसे :- बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डगांव और बलरामपुर के निवासी शिक्षार्थियों को शून्य प्रतिशत एवं शेष जिलों के निवासी शिक्षार्थियों को केवल 1.00 प्रतिशत की दर से ब्याज भार वहन करना होगा एवं बैंको द्वारा लिये जाने वाले ब्याज दर के शेष का व्यय भार, राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1798 छात्रों को लगभग 46.2986 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पॉलीटेक्निक संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य

केन्द्रीय अनुदान से शासकीय पॉलीटेक्निक कांकर जशपुर और कोरिया के भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। नारायणपुर में निर्माण एजेंसी निर्धारित किया जाकर, निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। रायपुर, बीजापुर, बिलासपुर और जगदलपुर के लिए भूमि का चयन किया गया है। रामानुजगंज में भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है।

पॉलीटेक्निक संस्था जांजगीर-चांपा और महासमुंद में भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। राजनांदगांव में भवन निर्माण अंतिम चरण में है। बलौदा बाजार के लिए निर्माण एजेंसी निर्धारित हो चुकी है। दुर्ग, गरियाबंद, भाटापारा, सुकमा और कबीरधाम में निविदा की कार्यवाही की जा रही है। बिलासपुर (कन्या) के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। मुंगेली के लिए प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है।

ऑन लाईन काउंसिलिंग

सत्र 2013-14 से समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा बी.ई./बी.फार्मेसी/एम.सी.ए./डिप्लोमा/ एम.ई./एम. टेक./एम.फार्मा/एम.बी.ए. आदि में प्रवेश ऑन लाईन काउंसिलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रक्रिया में छात्रों द्वारा घर बैठे या किसी इंटरनेट कैफे से ही अपना पंजीयन कराया गया। केवल दस्तावेजों के सत्यापन कराने हेतु छात्रों को अपने निकटतम केन्द्र में आना होता है। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शी बल्कि छात्र हितैषी भी है।

प्लेसमेंट एवं केम्पस इन्टरव्यू

केम्पस साक्षात्कार के माध्यम से शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलीटेक्निकों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के प्लेसमेंट के लिए प्रदेश एवं देश के सक्षम नियोजकों से संस्थानों द्वारा सम्पर्क किया जाता है। प्रत्येक संस्था में छात्र-छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए प्लेसमेंट अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। छात्र-छात्राओं को उद्योगों एवं अन्य संगठनों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण/मार्गदर्शन दिया जाता है।

कन्या छात्रावास

राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निकों में 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव एवं बिलासपुर में छात्राएं प्रवेश लेती हैं। छात्राओं को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन ने संस्थाओं में कन्या छात्रावासों के निर्माण को प्राथमिकता दी है। इसके अन्तर्गत शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर एवं बिलासपुर में कन्या छात्रावास तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रायपुर, जगदलपुर, कोरवा, धमतरी, रायगढ़ एवं दुर्ग में कन्या छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।

(XVI) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां				
क्र.	लोक सूचना अधि. का नाम	पदनाम	कार्यालय	दूरभाष
1.	श्री हिमांशु गुप्ता	आयुक्त-सह-संचालक	तकनीकी शिक्षा संचालनालय	07712331331
2.	डॉ. हिमांशु अग्रवाल	संयुक्त संचालक	तकनीकी शिक्षा संचालनालय	07712439188
3.	श्री जी.आर. साहू	प्रभारी प्राचार्य	शास. इंजी. महा., रायपुर	07712103147
4.	डॉ. बी.एस. चावला	प्राचार्य	शास. इंजी. महा., बिलासपुर	07752260289
5.	श्री जी.पी. खरे	प्रभारी प्राचार्य	शास. इंजी. महा., जगदलपुर	07782229439
6.	श्री एस.डी. बर्मन	प्रभारी प्राचार्य	शास. कन्या पॉली., रायपुर	07712423045
7.	डॉ. एस.सी. बैरागी	प्रभारी प्राचार्य	मिनीमाता शास. कन्या पॉली., राजनांदगांव	07744226830

8.	श्री अमिताभ दुबे	प्राचार्य	शास. कन्या पॉली., जगदलपुर	07782229230
9.	डॉ. एस.के. सिंघई	प्रभारी प्राचार्य	शास. कन्या पॉली., बिलासपुर	07752260258
10.	श्री आर.जे. पाण्डे	प्राचार्य	शास. पॉली., अंबिकापुर	07774220609
11.	श्री लोकेन्द्र सिंह	प्रभारी प्राचार्य	भोपाल राव पवार शास. पॉली., धमतरी	07722237618
12.	डॉ. श्रीमती उषा जैन	प्राचार्य	उदय प्रसाद उदय शास. पॉली., दुर्ग	07882323548
13.	श्री एस.एस.एल. पटेल	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., कोरवा	07759215696
14.	श्री डी.एस. पवार	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., महासमुंद	07723224818
15.	श्री एस.डी. साहू	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., गरियाबंद	07706241303
16.	श्री आई.सी. भारती	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., तखतपुर	07753264963
17.	श्री जी.पी. नायक	प्रभारी प्राचार्य	श्री रामकृष्ण राठौर शास. पॉली., जांजगीर-चांपा	07817222026
18.	डॉ. श्रीमती उषा जैन	प्राचार्य	शास. पॉली., खैरागढ़	07820234010
19.	श्री राजेश कुमार	प्रभारी प्राचार्य	किरोड़ीमल शास. पॉली., रायगढ़	07762222737
20.	डॉ. एम.एफ. कुरैशी	प्राचार्य	शास. पॉली., कांकेर	07868222081
21.	श्री हरिमोहन सोनी	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., जशपुर	07763220051
22.	श्री आर.जे. पाण्डे	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., कोरिया	07836232070
23.	डॉ. एम.एफ. कुरैशी	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., नारायणपुर	07781200078
24.	श्री बी.एल. देवांगन	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., बीजापुर	07853220015
25.	डॉ. एस.के. सिंह	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., कबीरधाम	07741232636
26.	श्री कौजल राय	प्राचार्य	शास. पॉली., सुकमा	93008-95604
27.	श्री आई.सी. भारती	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., मुंगेली	98264-03452
28.	श्री ए.के. खैरवार	प्राचार्य	शास. पॉली., रामानुजगंज	94063-20245
29.	डॉ. एस.के. सिंघई	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., बिलासपुर	94241-69277
30.	श्री आर.पी. वर्मा	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., भाटापारा	94255-56901
31.	श्री आर.के. अग्रवाल	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., बलौदाबाजार	94079-96931
32.	श्री एस.डी. बर्मन	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली., रायपुर	94255-01272
33.	श्री अमिताभ दुबे	प्रभारी प्राचार्य	शास. पॉली. जगदलपुर	95752-43273

(XVII) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए;

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा; अधीनस्थ कार्यालय

अधीनस्थ कार्यालय

तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीन निम्नांकित 03 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 04 शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक एवं 24 शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक संस्थाएं निम्नानुसार हैं :-

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय

1. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
2. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
3. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर

शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाएँ

अ. कन्या पॉलीटेक्निक

1. शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर
2. शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर

3. मिनीमाता शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगाँव
4. शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बिलासपुर

ब. सहशिक्षा पॉलीटेक्निक

1. उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
2. किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
3. भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
4. शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
5. शासकीय पॉलीटेक्निक, अम्बिकापुर
6. शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
7. शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
8. शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
9. शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
10. श्री रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जॉजगीर-चौपा
11. शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद
12. शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर
13. शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
14. शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर
15. शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
16. शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
17. शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा
18. शासकीय पॉलीटेक्निक, मुंगेली
19. शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज
20. शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर
21. शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, बिलासपुर
22. शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
23. शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार
24. शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा

विभाग के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं का विवरण

प्रदेश में मुख्य रूप से तकनीकी शिक्षा दो प्रकार की संस्थाओं- इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में दी जाती है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर चार वर्षीय बी.ई. तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ई./एम.टेक., एम.सी.ए. और एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित हैं। पॉलीटेक्निक संस्थाओं में त्रिवर्षीय पत्रोपाधि का पाठ्यक्रम संचालित है।

वर्तमान में राज्य में 3 शासकीय, 3 स्वशासी-स्ववित्तीय और 44 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 18390 है। इनमें दो निजी विश्वविद्यालय (1) डॉ. सी.व्ही. रमन एवं (2) मैट्स भी शामिल हैं। इन महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के 15 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 23 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित हैं। राज्य में 28 शासकीय एवं 22 निजी पॉलीटेक्निक संस्थाएँ स्थापित हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 9040 है। शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में 14 पत्रोपाधि पाठ्यक्रम तथा 01 शासकीय एवं 08 निजी डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं में फार्मसी पत्रोपाधि पाठ्यक्रम, इस प्रकार कुल 15 पत्रोपाधि पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ये तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से सम्बद्ध हैं तथा इनमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। डिप्लोमा फार्मसी में वार्षिक पद्धति से शिक्षण कार्य संपादित किया जाता है।

तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ एवं पाठ्यक्रम

(अ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. एम.ई./एम.टेक पाठ्यक्रम

स. क्र.	संस्था का नाम	विषय	प्रवेश क्षमता
1	शास.इंजी. महाविद्यालय, जगदलपुर	1.थर्मल इंजीनियरिंग	18
		2.स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग	18
2	भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, दुर्ग	1. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	20
		2. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग	18
		3. इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल	20
3	चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर	1. डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स	18
		2. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	18
4	क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, भिलाई	1. कैड/कैम रोबोटिक्स	18
5	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर	1. एन्वायरनमेन्टल इंजीनियरिंग	18
		2. कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	18
		3. थर्मल इंजीनियरिंग	18
		4. पावर इलेक्ट्रानिक्स	18
6	रंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	1. कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	18
		2. डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स	18
		3. पॉवर इलेक्ट्रानिक्स	18
		4. कम्प्यूटर टेक्नालॉजी	18
		5. साफ्टवेयर इंजीनियरिंग	18
7	श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	1. कम्प्यूटर टेक्नालॉजी एंड एप्लीकेशन	36
		2. मशीन (डिजाइन)	18
		3. पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एंड पॉवर सिस्टम	18
		4. व्ही.एल.एस.आई. डिजाइन	18
		5. थर्मल इंजीनियरिंग	18
		6. कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	36
8	छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, दुर्ग	1. इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्प्यूनिकेशन	18
		2. कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	18
		3. इंडस्ट्रियल इंजी. एंड मैनेजमेंट	18
9	दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. एंड टेक्नालॉजी, रायपुर	1. वीएलएसआई एमबेडेड सिस्टम एण्ड डिजाइन	18
		2. इनफॉर्मेशन सेक्योरिटी	18
		3. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एण्ड पावर सिस्टम	18
10	स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई.टी. मैट्स युनिवर्सिटी, रायपुर	1. कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	18
		2. टर्बो मशीनरी	18
		3. पावर इलेक्ट्रानिक्स	18
11	डॉ0 सी.व्ही. रमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, बिलासपुर	1. कम्प्यूनिकेशन	18
		2. पॉवर सिस्टम	24
		3. कम्प्युटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	24
		4. वीएलएसआई डिजाइन	24

	5. साफ्टवेयर इंजीनियरिंग	24
	6. प्रोडक्सन इंजीनियरिंग	24
	योग	754

2. एम.सी.ए. पाठ्यक्रम

स.क्र.	संस्था का नाम	प्रवेश क्षमता
1	स्कूल ऑफ स्टडी-कम्प्यूटर साइंस, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	60
2	भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, दुर्ग	60
3	दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी, चन्द्रखुरी, रायपुर	60
4	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर	60
5	आर.एस.आर. खंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	60
6	खंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	60
7	भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, दुर्ग	60
8	स्कूल ऑफ आई.टी. मेट्स युनिवर्सिटी, रायपुर	60
9	श्री शंकराचार्य टेक्नीकल केम्पस, श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, भिलाई (फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी)	120
10	श्री शंकराचार्य टेक्नीकल केम्पस, श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, भिलाई (फैकल्टी ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन)	60
	योग	660

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम

सं.क्र.	संस्था का नाम	प्रवेश क्षमता	
		पूर्णकालिक	अंशकालिक
1.	भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, भिलाई हाउस, दुर्ग	120	60
2.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	60*	
3.	सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, रायपुर	60	
4.	छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, राजनांदगांव	0**	
5.	चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर	60	
6.	कोलम्बिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलाजी, रायपुर	60	
7.	दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलाजी, रायपुर	240	60
8.	डॉ0 सी.व्ही. रमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलाजी, बिलासपुर	60	
9.	जी.डी.खंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलाजी, भिलाई	60	
10.	कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी एंड इंजीनियरिंग, रायपुर	60	
11.	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर	120	
12.	खंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	60	
13.	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर	60	
14.	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलाजी, रायपुर	60	
15.	श्री शंकराचार्य टेक्नीकल केम्पस, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूशन्स ऑफ टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट, भिलाई	60	
16.	श्री शंकराचार्य टेक्नीकल केम्पस, श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई	60	
17.	श्री शंकराचार्य टेक्नीकल, श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, भिलाई (फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज)	120	60

18.	मैट्स स्कूल ऑफ मैट्स युनिवर्सिटी	120	
		1440	180

* सत्र 2014-15 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके आवेदन पर स्वयं के स्तर से कौंसिलिंग द्वारा प्रवेश की अनुमति दी गयी थी।

** इस संस्था को सत्र 2014-15 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था।

1. फार्मेसी पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर स्तर, एम.फार्मा)

स.क्र.	संस्था का नाम	विषय	प्रवेश क्षमता
1	इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	फार्मास्युटिक्स	12*
2	कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, रायपुर	फार्मेकोलॉजी	18
		फार्मास्युटिक्स	18
3	खंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस एंड रिसर्च, भिलाई	फार्मेकोग्नोसी	18
		फार्मास्युटिक्स	18
4	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, दुर्ग	फार्मास्युटिक्स	10
		फार्मेकोग्नोसी	10
		फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री	18
		क्वालिटी एस्युरेंस	18
5	स्कूल ऑफ फार्मेसी, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर	फार्मेकोग्नोसी	10
योग			150

* सत्र 2014-15 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके आवेदन पर स्वयं के स्तर से कौंसिलिंग द्वारा प्रवेश की अनुमति दी गयी थी।

(ब) इंजीनियरिंग एवं टेक्नालाजी में स्नातक पाठ्यक्रम

प्रदेश में इंजीनियरिंग एवं टेक्नालाजी में निम्नांकित स्नातक पाठ्यक्रम संचालित है :

1	सिविल इंजीनियरिंग	2	मेकेनिकल इंजीनियरिंग
3	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	4	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली कम्यूनिकेशन
5	इन्फार्मेशन टेक्नालाजी	6	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग
7	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स	8	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन
9	इण्डस्ट्रीयल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	10	केमिकल इंजीनियरिंग
11	बॉयो टेक्नालाजी	12	माइनिंग इंजीनियरिंग
13	मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग	14	एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग
15	मेकाट्रॉनिक्स		

राज्य में जिलेवार स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय

राज्य में जिलेवार स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय

इंजीनियरिंग महाविद्यालय	जिला	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	
शासकीय-03	बिलासपुर	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर	260	
	जगदलपुर	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर	270	
	रायपुर	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	280	
		योग	810	
स्वशासी स्ववित्तीय-03	रायगढ़	किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायगढ़	240	
	कोरवा	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरवा	240	
	अंबिकापुर	इंजीनियरिंग कॉलेज सरगुजा युनिवर्सिटी, अंबिकापुर	240	
		योग	720	
त्तिजी -44	दुर्ग (17)	भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलाजी, दुर्ग	420	
		भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, भिलाई हाउस, दुर्ग	570	
		सन इंजीनियरिंग कॉलेज, चंद्रखुरी, दुर्ग	360	
		छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, दुर्ग	600	
		छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलाजी, भिलाई	360	
		छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, दुर्ग	420	
		श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलाजी, दुर्ग	360	
		गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलाजी, दुर्ग	420	
		जी.डी. रंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलाजी, भिलाई	390	
		क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलाजी, भिलाई	420	
		पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, दुर्ग	360	
		आरएसआर, रंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलाजी, भिलाई	420	
		श्री शंकराचार्य टेक्नीकल केम्पस, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी एंड मैनेजमेंट, भिलाई	420	
		श्री शंकराचार्य टेक्नीकल केम्पस, श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, भिलाई	780	
		श्री शंकराचार्य टेक्नीकल केम्पस, श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई	360	
		रंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलाजी, भिलाई	660	
		रंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई	420	
			योग	7740
		रायपुर (17)	भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, केन्द्री, रायपुर	360
	सेंट्रल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, रायपुर		300	
	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी,, रायपुर		360	
	कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलाजी, रायपुर		360	
	दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलाजी, चन्द्रखुरी, रायपुर		360	
कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी. एंड इंजीनियरिंग, रायपुर	360			
एम.एम. कॉलेज ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर	300			
प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी, रायपुर	240			
प्रगति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सेजबहार, रायपुर	300			
रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रायपुर	480			

	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रायपुर	420
	रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी, रायपुर	360
	रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर	420
	स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई.टी., मैट्स युनिवर्सिटी, रायपुर	480
	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रायपुर	420
	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलॉजी, रायपुर	420
	विंध्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड साइंस, रायपुर	0*
	योग	5940
राजनांदगांव (05)	बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट, राजनांदगांव	420
	मां बम्बलेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट, राजनांदगांव	420
	युगांतर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट, राजनांदगांव	420
	अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट, राजनांदगांव	0*
	छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, राजनांदगांव	0*
	योग	1260
बिलासपुर (04)	लखमीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बिलासपुर	360
	डॉ० सी.व्ही. रमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी, बिलासपुर	540
	जे.के. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, बिलासपुर	360
	चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर	360
	योग	1620
रायगढ़ (01)	ओ.पी. जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रायगढ़	300
	योग	300
	कुल योग	18390

* इन संस्थाओं को सत्र 2014-15 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की विषयवार प्रवेश क्षमता

स.क्र.	संस्था का नाम	आर्टोमेबाइल इंजी	एला. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन	बायो टेक्नालॉजी	सिविल	केमिकल	कम्प्यूटर साइंस	इलेक्ट्रिकल	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी.	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन	इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	मेकैनिक्ल	माइनिंग	मेटलर्जिकल	मेकैट्रॉनिक्स	योग
1	शासकीय इंजीनियरिंग महा., विलासपुर				20		40	60		40		40	40	20			260
2	शासकीय इंजीनियरिंग महा., जगदलपुर				60			30		60		30	30	60			270
3	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर				40		60		60	60			60				280
4	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा				60		60		60				60				240
5	किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायगढ़						60			60		60	60				240
6	अशोका इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ. एंड मैनेजमेंट, राजनांदगांव				60		90	60		60		30	120				420
7	बालाजी इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ. एंड मैनेजमेंट, राजनांदगांव				0		0			0		0	0				0*
8	भारती कॉलेज ऑफ इंजी. एंड टेक्नॉ., दुर्ग				120		60	60		60			120				420
9	भिलाई इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ., भिलाई हाउस, दुर्ग				60		90	60	60	120		60	120				570
10	भिलाई इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ., केन्द्री, रायपुर		60		60		60		60	60			60				360
11	सन इंजीनियरिंग कॉलेज, चन्द्रखुरी, दुर्ग				60		60		60	60			120				360
12	सेंट्रल कॉलेज ऑफ इंजी. एंड मैनेजमेंट, रायपुर				60		60			60			120				300
13	सेंट्रल इंस्टी. ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर				60		60		60	60			60	60			360
14	छत्रपति शिवाजी इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ., दुर्ग						120		60	120	60	60	120			60	600
15	छत्तीसगढ़ इंस्टी. ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉ. भिलाई				60		60		60	90			90				360
16	छत्तीसगढ़ इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ., राजनांदगांव				60		90		60	60		60	90				420
17	छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, दुर्ग				120		60		60	60			120				420
18	चौकसे इंजी. कॉलेज, विलासपुर				30		90		60	120			60				360

19	कोलंबिया इंस्टी. ऑफ इंजी. एंड टेक्नॉ., रायपुर			60		60	60	60		120				360
20	श्री शंकराचार्य इंस्टी. ऑफ इंजी. एंड टेक्ना. दुर्ग			120		60		60		120				360
21	दिशा इंस्टी. ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉ., रायपुर					90		60	90		120			360
22	डॉ0 सी. व्ही. रमन इंस्टी. ऑफ साइंस एंड टेक्नॉ., विलासपुर			120		60	60	60	60	60	120			540
23	गर्व इंस्टी. ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉ., दुर्ग					60	120		60		60	120		420
24	जीडी रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजी.एंड टेक्नॉ., भिलाई			60		60			120		60	90		390
25	जे.के. इंस्टी. ऑफ इंजी., विलासपुर			60		60			60		60	120		360
26	कृति इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ. एंड इंजी., रायपुर			60		60		60	60		120			360
27	लखमीचंद इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ., विलासपुर			60		60	60	60	60		60			360
28	मों बम्बलेश्वरी इंस्टी. ऑफ टेक्ना. एंड मैनेजमेंट, राजनांदर्गाव					0			0		0			0*
29	एम.एम. कॉलेज ऑफ टेक्नॉ. रायपुर			60		60		60	60		60			300
30	क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजी. एंड टेक्नॉ., भिलाई					60	60		120		60	120		420
31	ओ.पी. जिंदल इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ., रायगढ़			60		60		60			60		60	300
32	पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजी. एंड मैनेजमेंट, दुर्ग			60		60	60		60		120			360
33	प्रगति कॉलेज ऑफ इंजी. एंड मैनेजमेंट, रायपुर			60		60		60	60		60			300
34	प्रोफेशनल इंस्टी. ऑफ इंजी. एंड टेक्ना., रायपुर			60		60			60		60			240
35	रायपुर इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ., रायपुर		30	60	30	90			90		60	120		480
36	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ., रायपुर			120		60		60	60		120			420
37	रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर			120		60			60		60	120		420
38	आरएसआर, रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजी. एंड टेक्नॉ., भिलाई			60		60		60	120		60	60		420

39	रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजी. एंड टेक्नॉ., भिलाई				60		120	120	60	120		60	120				660
40	रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजी. एंड टेक्नॉ., रायपुर				120		60			60			120				360
41	स्कूल ऑफ इंजी. एंड आई.टी., मैट्स युनिवर्सिटी, रायपुर	60			60		60			60		60	120	60			480
42	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ., रायपुर				60		60	60		60		60	120				420
43	श्री शंकराचार्य इंस्टी. ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नॉ., रायपुर				60		60			120		60	120				420
44	श्री शंकराचार्य इंस्टी. ऑफ टेक्नालाजी एंड मैने., भिलाई				60		60		60	60		60	120				420
45	श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, भिलाई				60		120	60	120	120	60	120	120				780
46	श्री शंकराचार्य इंजी. कॉलेज, भिलाई						60			120		60	120				360
47	विंध्य इंस्टी. ऑफ टेक्नॉ. एंड साइंस, रायपुर				0		0		0	0		0	0				0*
48	युगान्तर इंस्टी. ऑफ टेक्ना. एंड मैनेजमेंट, राजनांदर्गाव				120		60		60	90			90				420
49	इंजीनियरिंग कॉलेज सरगुजा युनिवर्सिटी, अंबिकापुर				60		60	60					60				240
50	रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई				120		60	60	60				120				420
	योग	60	60	30	2910	30	3100	990	1620	3280	120	1300	4570	200	60	60	18390

* इन संस्थाओं को सत्र 2014-15 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(स) फार्मैसी पाठ्यक्रम (स्नातक स्तर, बी.फार्मा)

स.क्र.	जिला	संस्था का नाम	प्रवेश क्षमता
1	रायपुर- (03)	1. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	60
		2. कोलम्बिया कॉलेज ऑफ फार्मैसी, रायपुर	120
		3. रायल कॉलेज ऑफ फार्मैसी साइंस, रायपुर	60
2	दुर्ग-(04)	4. रूंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस एंड रिसर्च, भिलाई	120
		5. श्री शंकराचार्य टेक्नीकल केम्पस, श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, (फैकल्टी ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस, भिलाई)	60
		6. अपोलो कॉलेज ऑफ फार्मैसी, दुर्ग	60
		7. रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट, कुम्हारी, दुर्ग	120
3	बिलासपुर-(03)	8. जे.के. कॉलेज ऑफ फार्मैसी, बिलासपुर	60
		9. स्कूल ऑफ फार्मैसी चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर	60
		10. सिद्धि विनायक इंस्टी. ऑफ टेक्ना. एंड साइंस, बिलासपुर	60
योग			780

(द) त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

राज्य के कुल 50 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में 04 शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, 24 शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक एवं 22 निजी सहशिक्षा पॉलीटेक्निक हैं। इनकी कुल प्रवेश क्षमता 9040 है और इन संस्थाओं में निम्नानुसार 14 त्रिवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित हैं :

1	सिविल इंजीनियरिंग	2	मेकेनिकल इंजीनियरिंग
3	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	4	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन
5	इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	6	कम्प्यूटर साइंस
7	मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग	8	माइनिंग इंजीनियरिंग
9	मार्डर्न आफिस मैनेजमेंट	10	आर्किटेक्चर
11	इंटीरियर डेकोरेशन	12	कास्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग
13	इंस्ट्रुमेन्टेशन	14	केमिकल इंजीनियरिंग

राज्य में जिलेवार पॉलीटेक्निक संस्थाओं की स्थिति

पॉलीटेक्निक	जिला	पॉलीटेक्निक का नाम	प्रवेश क्षमता
कन्या पॉलीटेक्निक-04	रायपुर	1. शासकीय कन्या पॉली., रायपुर	250
	जगदलपुर	2. शासकीय कन्या पॉली., जगदलपुर	135
	राजनांदगांव	3. मिनीमाता शासकीय कन्या पॉली., राजनांदगांव	100
	बिलासपुर	4. शासकीय कन्या पॉली., बिलासपुर	135
		योग	620
सहशिक्षा पॉलीटेक्निक-24	अम्बिकापुर	1. शास.पॉलीटेक्निक, अम्बिकापुर	240
	धमतरी	2. भो.रा.प. शास., पॉलीटेक्निक, धमतरी	280
	दुर्ग	3. उ.द.उ शास. पॉलीटेक्निक, दुर्ग	390
	जांजगीर-चौपा	4. श्री रामकृष्ण राठौर शास.पॉली. जांजगीर-चौपा	120
	कबीरधाम	5. शास.पॉलीटेक्निक, कबीरधाम	90
	राजनांदगांव	6. शास. पॉलीटेक्निक, खैरागढ़	240
	कोरबा	7. शास. पॉलीटेक्निक, कोरबा	180
	महासमुंद	8. शास. पॉलीटेक्निक, महासमुंद	120
	रायगढ़	9. किरोड़ीमल शास. पॉलीटेक्निक, रायगढ़	320
	बिलासपुर	10. शास. पॉलीटेक्निक, तखतपुर	80
	गरियाबंद	11. शास. पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	90
	बीजापुर	12. शास. पॉलीटेक्निक, बीजापुर	90
	नारायणपुर	13. शास. पॉलीटेक्निक, नारायणपुर	90
	कांकेर	14. शास. पॉलीटेक्निक, कांकेर	90
	कोरिया	15. शास. पॉलीटेक्निक, कोरिया	90
	जशपुर	16. शास. पॉलीटेक्निक, जशपुर	90
	सुकमा	17. शास. पॉलीटेक्निक, सुकमा	180
	मुंगेली	18. शास. पॉलीटेक्निक, मुंगेली	180
	रामानुजगंज	19. शास. पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज	180
	रायपुर	20. शास. सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर	180
	बिलासपुर	21. शास. सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, बिलासपुर	180
	जगदलपुर	22. शास. सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर	180
	बलौदाबाजार	23. शास. पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार	180
	बलौदाबाजार	24. शास. पॉलीटेक्निक, भाटापारा	180
	योग	4040	
निजी पॉलीटेक्निक- (22)	दुर्ग - (11)	1.आई.बी.टी. कॉलेज ऑफ डिप्लोमा इंजी., अहिवारा, दुर्ग	300
		2.मनसा पॉलीटेक्निक, कोहका रोड, दुर्ग	180
		3.गर्व इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉ. , दुर्ग (द्वितीय पाली)	240
		4.जी.डी. स्नैगटा कॉलेज आफ इंजी. एण्ड टेक्नॉ., भिलाई (द्वितीय पाली)	240

		5.आर.एस.आर. खंगटा कॉलेज आफ इंजी. एण्ड टेक्नॉ., भिलाई (द्वितीय पाली)	240
		6.भारती कॉलेज आफ इंजी. एण्ड टेक्नॉ., दुर्ग (द्वितीय पाली)	180
		7.छ.ग. इंजी. कॉलेज, बोरसी, धनोरा, दुर्ग (द्वितीय पाली)	120
		8.साई पॉलीटेक्निक, अहिवारा, दुर्ग	300
		9.भारती कॉलेज आफ पॉलीटेक्निक, दुर्ग	300
		10. श्री शंकराचार्य इंस्टी. आफ टेक्नॉ. एण्ड मैनेजमेंट, भिलाई (द्वितीय पाली)	120
		11. खंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई (द्वितीय पॉली)	120
		योग	2340
पॉलीटेक्निक	जिला	पॉलीटेक्निक का नाम	प्रवेश क्षमता
	रायपुर - (06)	1. खंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर (द्वितीय पाली)	240
		2. रावतपुरा पॉलीटेक्निक, धनेली, रायपुर	300
		3. एम.एम. कॉलेज आफ टेक्नॉ., रायपुर (द्वितीय पाली)	120
		4. कोलम्बिया इंस्टीट्यूट आफ इंजी. एण्ड टेक्नॉ., टेकारी, रायपुर (द्वितीय पाली)	180
		5. खंगटा कालेज आफ इंजी. एंड टेक्नॉ., रायपुर	120
		6. मेट्स स्कूल आफ इंजी. एण्ड टेक्नॉ., आरंग, रायपुर	120
		योग	1080
	बलोद - (01)	1. अग्रसेन पॉलीटेक्निक कालेज, डगनिया, गुंडरदेही, बालोद	300
		योग	300
	बिलासपुर-(03)	1. सी.वी. रमन युनिवर्सिटी, कोटा, बिलासपुर (द्वितीय पाली)	120
		2. जे.के. इंस्टी. आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉ., बिलासपुर (द्वितीय पाली)	120
		3. आयुष पॉलीटेक्निक, पेण्ड्रा रोड़, बिलासपुर	300
		योग	540
	दंतेवाड़ा- (01)	1. एन.एम.डी.सी., डी.ए.व्ही. पॉलीटेक्निक, दंतेवाड़ा	120
		योग	120
		महायोग	9040

राज्य में शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक में विषयवार प्रवेश क्षमता

संस्था का नाम (कन्या पॉलीटेक्निक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	इन्फार्मेशन टेक्नालाजी	कम्प्यूटर साइंस	मार्डन आफिस मैनेजमेंट	आर्किटेक्चर	इंटीरियर डेकोरेशन	कास्ट्यूम डिजाइन एंड ट्रेस मेकिंग	योग
(1) रायपुर	45	30	45	40	30	30	30	250
(2) राजनांदर्गोव	40			30			30	100
(3) जगदलपुर	45	30		30			30	135
(4) बिलासपुर	45	45	45					135
योग	175	105	90	100	30	30	90	620

राज्य के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में विषयवार प्रवेश क्षमता

सं. क्र.	संस्था का नाम सहशिक्षा पॉलीटेक्निक	सिविल	केमिकल इंजी.	कम्प्यूटर साइंस	इलेक्ट्रिकल	इलेक्ट्रॉनिक्स	इन्फूमेंटेशन	इन्फार्मेशन टेक्नालाजी	मेकैनिक्ल	माइनिंग	मार्डन आफिस मैनेजमेंट	मेटलर्जी	योग
1.	अंबिकापुर	40		40	40	40			40	40			240
2.	धमतरी	40		60	60	60			60				280
3.	दुर्ग	40		40	60	60		30	60		40	60	390
4.	जौंजगीर-चौपा	30	30		30	30							120
5.	कबीरधाम			30	30	30							90
6.	खैरागढ़			40	60	40			40			60	240
7.	कोरवा				60	30	30		60				180
8.	महासमुंद	30		30	30				30				120
9.	रायगढ़	40		40	80	40			80			40	320
10.	तखतपुर					40			40				80
11.	गरियावंद	30							30	30			90
12.	बीजापुर	30			30				30				90
13.	नारायणपुर			30		30		30					90
14.	कांकेर	30				30			30				90
15.	कोरिया	30			30				30				90
16.	जशपुर			30		30			30				90
17.	सुकमा	60			60				60				180
18.	मुंगेली	60			60				60				180
19.	रामानुजगंज	60			60				60				180
20.	सहशिक्षा रायपुर	60			60				60				180
21.	सहशिक्षा बिलासपुर	60			60				60				180
22.	सहशिक्षा जगदलपुर	60			60				60				180

23.	बलौदावाजार	60		60		60					180
24.	भाटापारा	60		60		60					180
25.	आई.बी.टी. कॉलेज ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, दुर्ग	90	30	60	30			90			300
26.	मनसा पॉलीटेक्निक, कोहका रोड़, दुर्ग	60		60				60			180
27.	एन.एम.डी.सी., डी.ए.व्ही. पॉली., दंतेवाड़ा			60				60			120
28.	खंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर (द्वितीय पाली)	60		60				120			240
29.	गर्व इंस्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, दुर्ग (द्वितीय पाली)	60		60	60			60			240
30.	जीडी खंगटा कॉलेज आफ इंजी. एण्ड टेक्नोलॉजी, भिलाई (द्वितीय पाली)	120						120			240
31.	आरएसआर खंगटा कॉलेज आफ इंजी. एण्ड टेक्नोलॉजी, भिलाई (द्वितीय पाली)			120				120			240
32.	भारती कॉलेज आफ इंजी. एण्ड टेक्नो., दुर्ग (द्वितीय पाली)	60	60					60			180
33.	छ.ग. इंजी. कॉलेज, बोरसी, धनोरा रोड, दुर्ग (द्वितीय पाली)	60						60			120
34.	रावतपुरा पॉलीटेक्निक, धनेली, रायपुर	60		120				120			300
35.	साई पॉलीटेक्निक, अहिवारा, दुर्ग	60	60	60	60			60			300
36.	भारती कॉलेज आफ पॉलीटेक्निक, दुर्ग	60	60	60	60			60			300
37.	एम.एम.कॉलेज आफ टेक्नोलॉजी, रायपुर (द्वितीय पाली)	60						60			120
38.	कोलम्बिया इंस्टी. आफ इंजी. एण्ड टेक्नो, टेकारी, रायपुर (द्वितीय पाली)	60		60				60			180
39.	श्री शंकराचार्य इंस्टी. आफ टेक्नो एण्ड मेनेजमेंट, भिलाई (द्वितीय पाली)	60						60			120
40.	जे.के. इंस्टी. आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नो, विलासपुर (द्वितीय पाली)			60				60			120
41.	खंगटा कॉलेज ऑफ इंजी. एण्ड टेक्नो., रायपुर (द्वितीय पाली)	60						60			120
42.	मेटस स्कूल आफ इंजी. एण्ड टेक्नो, आरंग, रायपुर	60						60			120
43.	अग्रसेन पॉलीटेक्निक कालेज, डंगनिया, गुंडरदेही, बालोद	60		60				60	60	60	300
44.	सीवी रमन युनिवर्सिटी, कोटा, बिलासपुर (द्वितीय पाली)	60						60			120
45.	खंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई (द्वितीय पाली)	60						60			120

46.	आयुष पॉलीटेक्निक, पेण्ड्रा रोड विलासपुर	60			120				120				300
	योग	2050	30	550	1950	670	30	60	2690	130	40	220	8420

(इ) फार्मसी पाठ्यक्रम (डिप्लोमा स्तर, डी.फार्मा)

स.क्र.	जिला	संस्था का नाम	प्रवेश क्षमता
1	रायपुर-(04)	1. शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर	30
		2. कोलंबिया कालेज ऑफ फार्मसी रायपुर	60
		3. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कॉलेज ऑफ फार्मसी, रायपुर	60
		4. रायल कालेज ऑफ फार्मसी रायपुर	60
2	दुर्ग-(02)	5. रूंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस एंड रिसर्च, भिलाई	60
		6. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट, कुम्हारी, दुर्ग	60
3	बिलासपुर-(03)	7. सिद्धिविनायक इंस्टी. आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस (कॉलेज ऑफ फार्मसी), बिलासपुर	60
		8. स्कूल आफ फार्मसी, चौकसे इंजी.कालेज बिलासपुर	60
		9. जे.के.इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, बिलासपुर	60
		योग	510

प्रवेश प्रक्रिया

समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने/प्रतियोगी परीक्षा में प्रावीण्य सूची के आधार पर, केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग द्वारा दिया जाता है ।

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आवश्यक योग्यता (10+2) बारहवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की सभी सीटों तथा निजी एवं स्वशासी-स्ववित्तीय संस्थाओं की छत्तीसगढ़ कोटा की सीटों पर प्रवेश राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पी.ई.टी. एवं राज्य के निजी तथा स्वशासी-स्ववित्तीय संस्थाओं के अन्य राज्य कोटा की सीटों पर प्रवेश अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर दिया जाता है । एम.ई./एम.टेक. में प्रवेश “गेट” (GATE) के प्राप्तकों के आधार पर होता है ।

एम.सी.ए., एम.बी.ए. एवं फार्मसी पाठ्यक्रम

एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. में प्रवेश के लिये अर्हता स्नातक है । एम.सी.ए. में प्रवेश छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली प्री-एम.सी.ए. परीक्षा तथा एम.बी.ए. में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित “सीमैट” (CMAT) परीक्षा के रैंक के आधार पर होता है । डी.फार्मा में प्रवेश प्री फार्मसी टेस्ट (पी.पी.एच.टी.) की प्रावीण्य सूची के आधार पर दिया जाता है एवं फार्मसी में प्रवेश GPAT के आधार पर होता है ।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

पॉलीटेक्निक संस्थाओं में इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है । प्रवेश राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पी.पी.टी. के आधार पर दिया जाता है । मार्डन आफिस मैनेजमेंट (एम.ओ.एम.) के लिए 12 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाता है । डी.फार्मा में प्रवेश PPHT/ कक्षा बारहवीं के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित/बॉयो के प्राप्तकों के आधार पर दिया जाता है । नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पॉलीटेक्निक में PPT को प्राथमिकता दी जाती है तत्पश्चात् 10 वीं के आधार पर प्रवेश दिया जाता है ।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

छात्रवृत्तियाँ (सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये)

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये मेरिट स्कालरशिप और मेरिट-कम-मीन्स स्कालरशिप रु. 1000.00 प्रति माह तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रु. 600.00 प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र-छात्राओं को रु. 2000.00 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के छात्रों हेतु 105 एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं के छात्रों हेतु 377 छात्रवृत्तियाँ निम्नानुसार स्वीकृत हैं :-

इंजीनियरिंग महाविद्यालय	छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्ति रु. प्रतिमाह
मेरिट स्कॉलरशिप	16	1000.00
मेरिट स्कॉलरशिप (राज्य के बाहर पढने वाले विद्यार्थियों के लिए)	8	2000.00
मेरिट - कम - मीन्स	81	1000.00
योग	105	
पॉलीटेक्निक	छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्ति रु. प्रतिमाह
मेरिट स्कॉलरशिप	65	600.00
मेरिट - कम - मीन्स	312	600.00
योग	377	

अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं को सुविधायें

शासकीय तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र-छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना, विशेष कोचिंग, ड्राइंग सामग्री एवं स्टेशनरी के प्रदाय की सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों (जिनके पिता/माता की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक) के लिये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है। बी.ई. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रावासी छात्र-छात्राओं को 740.00 रुपये प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी छात्र-छात्राओं को 330.00 रुपये प्रतिमाह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रावासी छात्र-छात्राओं को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति 510.00 रुपये प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी छात्र-छात्राओं को 330 रुपये प्रतिमाह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को शिक्षण शुल्क में भी छूट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे छात्रों जिनके पिता/माता की आय रुपये 2.50 लाख प्रतिवर्ष तक है, शिक्षण शुल्क में पूरी छूट (100%) तथा रुपये ढाई लाख से अधिक वार्षिक आय पर शिक्षण शुल्क में पूरी देय है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को सुविधायें

अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्रों को जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 1.00 लाख या उससे कम हो, शिक्षण शुल्क में पूरी छूट दी जाती है।

बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों जिनके पालक बी.पी.एल. कार्डधारी हैं, उनके लिए यह छात्रवृत्ति सत्र 2007-2008 से लागू की गई है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 1000.00 प्रतिमाह एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 500.00 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम (टी.एफ.डब्ल्यू.)

यह योजना सत्र 2007-08 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ब्रांचवार प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें ट्यूशन फी व्हेवर सीटें होती हैं। 60 सीटों की प्रवेश क्षमता पर 03 सीटें फी व्हेवर के अंतर्गत होंगी। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रवेशित संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र-छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरिट का आधार प्रवेश परीक्षा का रैंक है।

छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क माफ

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क माफ किया गया है।

नवीन पदों का सृजन एवं पदोन्नतियों

वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप 208 शिक्षकों के नवीन पदों का सृजन किया गया है।

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों हेतु 71 पद जिनमें से 34 पद अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए स्वीकृत किये गये हैं। पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु 137 पद जिनमें से 39 पद अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्वीकृत किये गये हैं।

शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत 08 विभागाध्यक्षों को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत कर पदस्थापना की गयी है।

सेवा भर्ती नियमों का प्रकाशन

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के शिक्षकों के सेवा भर्ती नियम “छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014”, शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के शिक्षकों हेतु “छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014” एवं “छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (अन्य संवर्ग) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014” प्रकाशित किये गए हैं।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विभाग में लागू है। विभाग के अधीनस्थ संचालनालय/तकनीकी संस्थाओं (शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं) में 32 जनसूचना अधिकारी हैं तथा 01 अपीलीय अधिकारी है। अधिनियम के तहत दिनांक 01 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 की अवधि तक संचालनालय में कुल 148 आवेदन पत्र, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कुल 53 आवेदन पत्र एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कुल 144 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। संचालनालय में कुल 34 अपीलीय आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण कर दिया गया है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 तकनीकी शिक्षा संचालनालय में एवं अधीनस्थ शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक संस्थाओं में वर्ष 2011 से लागू है, जिसके तहत शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक संस्थाओं में ब्रांच परिवर्तन करने संबंधी आवेदनों का निराकरण एवं छात्रों के सभी प्रकार के रिफण्ड का भुगतान समय-सीमा में प्रदान करने का प्रावधान है। साथ ही छात्रों का स्थानांतरण, चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना, निःशक्तजनों से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण, सामान्यजनों से कम अवधि में किया जाना प्रावधानित है।

वर्ष 2014 में संचालनालय के अधीनस्थ शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कुल 148 आवेदन प्राप्त हुए एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कुल आवेदन 8114 प्राप्त हुए, जिसका निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया गया।

कोर्ट प्रकरण

विभाग में कोर्ट प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाता है। वर्ष 2014 में याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर प्रकरणों की संख्या 89 रही है, जिसमें से 27 प्रकरणों पर निर्णय प्राप्त हो गया है। 54 प्रकरणों पर जवाबदावा दाखिल किया जा चुका है, शेष लंबित 08 प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाबदावा दाखिल किया जाना प्रक्रियाधीन है।

ऑन लाईन काउंसिलिंग

सत्र 2013-14 से समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा बी.ई./बी.फार्मेसी/एम.सी.ए./डिप्लोमा/ एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा/एम.बी.ए. आदि में प्रवेश ऑन लाईन काउंसिलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रक्रिया में छात्रों द्वारा घर बैठे या किसी इंटरनेट कैफे से ही अपना पंजीयन कराया गया। केवल दस्तावेजों के सत्यापन कराने हेतु छात्रों को अपने निकटतम केन्द्र में आना होता है। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शी बल्कि छात्र हितैषी भी है।